

की गर्द जिसकी प्रति वकील प्रतियाग (कॉपी) को दी गई। वकील प्रतिवादी भी लिखित बहस पेश करना चाहते हैं। निर्णय से पूर्व पेश करे। पजावली वास्ते निर्णय दिनांक 25.7.24 को पेश ही।

25.7.24

पजावली पेशदुर, उभयपक्ष के अधिवक्ताओं वार्दा (रमाकान्त) का वाद पत्र सं. 112/14 स्वारीज किया जाता है। एवं प्रतिवादी (कापूरशंकर कौ) का वाद पत्र सं. 128/14 स्वीकार किया जात है विस्तृत निर्णय अलग से तैयार कर शुल्क न्यायालय में शुनाया जाकर शां पठ किया गया। पजावली फैसल शुमार होकर अन्तर से कम ही।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा